भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

सं0 **YS/2/2014/STGBH/DELAAL/RU-III**

दिनांक : 15-01-2016

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
   बिहार सरकार,
   पटना (बिहार)–800015

2. प्रधान सचिव,
   भू–राजस्व विभाग, बिहार सरकार,
   पटना (बिहार)

3. पुलिस महानिदेशक,
   बिहार पुलिस मुख्यालय,
   पुराना सचिवालय
   पटना (बिहार)–800015

4. पुलिस महानिदेशक,
   कमजोर वर्ग, अपराध अनुंसधान विभाग,
   बिहार पुलिस मुख्यालय,
   पुराना सचिवालय
   पटना (बिहार)–800015

5. जिलाधिकारी,
   जिला–सारण, छपरा,
   बिहार–841301

विषयः श्री योगेश्वर साह, ग्राम–फूचटी कांझा, पोस्ट–केसरी मठिया, थाना–एकमा, जिला–छपरा सारण (बिहार) के जमीन पर कब्जा करने के परिवाद पर आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर के समक्ष दिनांक 20.10.2016 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 20.10.2016 को आयोग में हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी.पी.शाही) 15/1

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. श्री योगेश्वर साह, ग्राम–फूचटी कांझा, पोस्ट–केसरी मठिया, थाना–एकमा, जिला–छपरा सारण (बिहार)

NIC – 551

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 वाईएस/2/2014/एसटीजीबीएच/डीईएलएएएल/आर.यू.–3

श्री योगेश्वर साह, ग्राम–फूचटी कांझा, पोस्ट–केसरी मठिया, थाना–एकमा, जिला–छपरा सारण (बिहार) के जमीन पर कब्जा करने के परिवाद पर आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर के समक्ष दिनांक 20.10.2016 को हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि – 20.10.2016

बैठक में उपस्थित–परिशिष्ट–क

श्री योगेश्वर साह ने दिनांक 09.10.2014 को आयोग में शिकायत की कि गांव में उनकी जमीन खाता सं0 611 सर्वे सं0 4.58 रकबा 3 काटा 15 धूर है जो वर्ष 1940 में बैनामा द्वारा हासिल हुई है जिस पर प्रार्थी का आवासीय मकान है जहां वह परिवार सहित निवास कर रहा है। उपरोक्त जमीन पर एसडीएफ छपरा के यहां केस दर्ज सं0 एम–1158/1999 दफा–144 दण्ड प्रक्रिया के अंतर्गत चला था जिसका आदेश प्रार्थी को दिनांक 25.03.2000 को मिला जिस पर प्रार्थी का हक हिस्सा कायम था। उक्तानुसार प्रार्थी को 7 धूर जमीन सहन के रूप में दक्षिण–पूर्व कोने में मिली थी। उक्त जमीन पर श्री उमा शंकर राय ने दिनांक 16.05.2014 को बलपूर्वक कब्जा कर लिया और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी गयी।

आयोग द्वारा इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 13.10.2014 को नोटिस जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, जिला छपरा सारण, बिहार को भेजा गया। अभ्यावेदक श्री योगेश्वर साह द्वारा दिनांक 08.11.2014, 15.03.2015 एवं 07.10.2015 आयोग को प्रस्तुत किये जिस पर रिपोर्ट हेतु आयोग द्वारा विस्तृत पत्र दिनांक 07.05.2015 जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, जिला–सारण छपरा, बिहार को भेजा।

जिलाधिकारी, सारण छपरा द्वारा दिनांक 15.04.2016 को आयोग को उत्तर भेजा गया जिसे 16.05.2016 को श्री योगेश्वर साह को भेजा गया उनके द्वारा जवाब पर असहमति जताते हुए आयोग को दिनांक 20.05.2016 को रिजोएंडर प्रस्तुत किया है। आयोग द्वारा श्री योगेश्वर साह के रिजोएंडर को दिनांक 22.06.2016 को जिलाधिकारी, सारण छपरा के टिप्पणी के लिए भेजा जिसमें 15 दिन के अन्दर उत्तर मांगा गया।

Ravi Thakur

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिलाधिकारी, सारण छपरा द्वारा कोई उत्तर नहीं प्राप्त होने के बाद अभ्यावेदक द्वारा माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष निवेदन करने के पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में सुनवाई/चर्चा के लिए दिनांक 20.10.2016 को प्रधान सचिव, भू–राजस्व, बिहार सरकार, पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार एवं जिलाधिकारी, सारण छपरा को आयोग में बुलाया गया।

प्रधान सचिव, भू–राजस्व विभाग, बिहार सरकार एवं जिलाधिकारी, सारण छपरा आयोग में उपस्थित नहीं हुए, न ही आयोग को अनुपस्थिति की सूचना भेजी गयी। पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार की ओर से पुलिस महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार पुलिस, मुख्यालय पटना, बिहार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हुए। आयोग में चर्चा अनुसार पुलिस महानिरीक्षक को सलाह दी कि इस उपरोक्त प्रकरण को मुकदमा कायम कर जांच पड़ताल की जाए–

(2) रेवेन्यू सिविल मैटर एवं क्रिमिनल पार्ट उत्पीड़न का केस दर्ज कराया जाए।

(3) पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, सारण छपरा से मामले में चर्चा कर व्यक्तिगत तौर पर इस प्रकरण पर निगरानी रखें।

(4) पुलिस महानिरीक्षक, श्री योगेश्वर साह को उनके जमीन की पैमाइस करा कर अभ्यावेदक को कब्जा दिलाने की कार्रवाई करवाएं।

आयोग को मामले में की गई कार्रवाई से एक माह के भीतर रिपोर्ट भिजवाएं।

Ravi Thakur

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री योगेश्वर साह, ग्राम–फूच्टी कांझा, पोस्ट–केसरी मठिया, थाना–एकमा, जिला–छपरा सारण (बिहार) के जमीन पर कब्जा करने के परिवाद पर आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर के समक्ष दिनांक 20.10.2016 को हुई बैठक की उपस्थिति शीट।

बैठक में भाग लेने वाले –

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री रवि ठाकुर, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती के. डी. बन्सौर, निदेशक
3. श्री पी.वी. मोहनदास, निजी सचिव
4. श्री वी. पी. शाही, सहायक निदेशक

पुलिस विभाग, बिहार सरकार

1. श्री अनिल किशोर यादव, पुलिस महानिरीक्षक

अभ्यावेदक

1. श्री योगेश्वर साह